जाकर दिनांक 8.8.23

8.8.23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा कथन किया कि प्रकरण का मूल वाद रिमाण्ड होकर माननीय न्यायालय में वादी द्वारा विड्रो कर लिया गया है एवं हस्तगत दस्तावेजों में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नोट शीट अंकित किया गया है।

प्रार्थी द्वारा नोट शीट अंकित किए जाने से हस्तगत प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर कम से कम हो।

प्रतिभा वर्मा
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा-उदयपुर